

राजस्थान सरकार  
नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक प.3(54)नविवि/3/2011

जयपुर, दिनांक : 05.11.2012



1. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर
2. आयुक्त, जयपुर / जोधपुर विकास प्राधिकरण
3. समस्त उप निदेशक(क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग,
4. समस्त सचिव, नगर विकास न्यास, राजस्थान
5. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, राजस्थान
6. समस्त वरिष्ठ नगर नियोजक, राजस्थान
7. समस्त आयुक्त, नगर परिषद राजस्थान
8. समस्त अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका मण्डल राजस्थान

विषय—“प्रशासन शहरों के संग अभियान-2012” आयोजित करने बाबत दिशा-निर्देश।

राज्य के सभी नगरीय क्षेत्रों में “प्रशासन शहरों के संग अभियान, 2012” की तैयारी का प्रथम चरण प्रारम्भ हो चुका है और नगरीय निकाय द्वारा तैयारी शिविर आयोजित किये जा रहे हैं। अभियान में दी जा रही शिथिलताओं एवं कार्यक्रम के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा प्रचार-प्रसार कराया जा रहा है साथ ही स्थानीय स्तर पर नगरीय निकायो द्वारा भी प्रचार-प्रसार करवाया जा रहा है।

राज्य सरकार द्वारा अभियान के लिये भूखंडो के नियमन आदि में दी गई भारी शिथिलताओ के दृष्टिगत बड़ी तादाद में नागरिकजनो के शिविरो में आने की संभावना है। शिविरो में आने वाले व्यक्तियों को के लिये बैठने की सुविधा, पेयजल एवं छाया की पर्याप्त व्यवस्था सम्बन्धित कार्यालय द्वारा सुनिश्चित की जानी आवश्यक है।

शिविरो में चूंकि रिकार्ड की भी आवश्यकता रहती है और स्टाफ भी उपलब्ध होना चाहिए। अतः इस सम्बन्ध में यह भी सलाह दी जाती है कि जहां तक संभव हो नगर निकाय अपने स्थानीय/क्षेत्रीय कार्यालय भवन परिसर (यदि टेंट आदि की व्यवस्था के लिए पर्याप्त खुला स्थान उपलब्ध हो) में ही शिविर रखे जहाँ टेन्ट, पेयजल आदि मूलभूत व्यवस्थाएं भी आवश्यकतानुसार की जावे।

आज्ञा से ,

Sdo  
(आर0के0पारीक)

उप शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, स्वा.शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, राजस्थान।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वा.शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
5. समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।
6. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
7. शासन उप सचिव प्रथम/द्वितीय/तृतीय/अन्य अधिकारीगण, नविवि।
8. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव-द्वितीय